150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

NO MASK
NO ENTRY

(पताः राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने,कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड़, अजमेर)

E-mail: AC.AJMER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN 0145-2970444

क्रमांक / स.आ. / अज / सम्पदा / देव / 2021–22 / 1009–19 दिनांक : 12.07.2021

–: किराया निलामी सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की निम्नानुसार सम्पदाओं (दुकानों) को मौके पर खुली बोली द्वारा मासिक किराये के आधार पर निलामी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक बोलीदाता निर्धारित धरोहर राशि के साथ–साथ स्वयं का परिचय पत्र जिसमें संबंधित के स्थायी पते का उल्लेख हो अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **धरोहर राशि जमा कराने का समय दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक निलामी बोली दोपहर 3.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक आयोजित होगी।**

यदि कोई फर्म के नाम से बोली लगाना चाहे तो पंजीकृत साझा पत्र व फर्म के नाम से संबंधित दस्तावेज मौके पर पेश करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता को अन्तिम उच्चतम बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत किराया मौके पर ही निलामी समिति को जमा कराना होगा।

क्र.सं.	सम्पदा का नाम एवं लोकेशन तथा निलामी तिथि व समय	सम्पदा संख्या	सम्पदा साईज वर्ग फीट	धरोहर राशि	सरकारी बोली (बेस रेट) मासिक
1	रा.आ.नि.मंदिर श्री बृजनन्दन जी जहाजपुर जिला–भीलवाडा दिनांक 19.07.2021, सोमवार	12	10.75 × 9.25	5000	1000
		22	20.5 × 14.875	5000	2600
		23	11 × 10	5000	6830
		25	9.5 × 14.25	5000	1200
		26	9 × 19.75	5000	2000
2	रा.आ.नि.मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, किशनगढ, जिला–अजमेर दिनांक 20.07.2021, मंगलवार	2	13.87 × 9.36	5000	1450
		3	13.87 × 9.36	5000	1000
3	रा.आ.नि.मंदिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी रलवाता, किशनगढ, जिला–अजमेर दिनांक 22.07.2021, गुरूवार	1	8.6 ×19	2000	450
		2	10.6 × 15.6	2000	450
		3	12.3 × 15.6	2000	500
		4	11.10 × 15.6	2000	500
		5	13.3 × 15.6	2000	550
4	रा.आ.नि.मंदिर श्री चतुर्भुज जी (सिंगोली श्याम जी) तहसील माण्डलगढ़ जिला–भीलवाडा दिनांक 26.07.2021, गुरूवार	3	20 × 10.3	2000	501
		4	6 × 5	2000	501
		5	6 × 5	2000	501
नोट :– नीलामी संबंधी शर्ते से मौके पर ही उपस्थित बोली दाताओं को अवगत करा दी जावेगी।					

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, अजमेर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

NO MASK
NO ENTRY

(पताः राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने,कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड़, अजमेर)

E-mail: AC.AJMER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN 0145-2970444

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरान् की सम्पदाओं को खुली नीलामी बोली द्वारा किराये पर दिए जाने के संबंध में निर्धारित शर्तें।

1. भारतीय नागरिक ही बोली में भाग ले सकेगा।
2. अंतिम उच्चतम नीलामी बोलीदाता को अपनी नागरिकता की साक्ष्य में स्थाई पता अंकित कराना होगा जिसके लिये परिचय पत्र, अनुज्ञा पत्र, पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आदि दस्तावेज की छाया प्रति उपलब्ध कराने पर ही बोली मान्य होगी।
3. बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं./आधार नं., मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. देना होगा। बोली छूटने पर किरायेदार को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच और आई.एफ.एस.सी. कोड तथा पैन नम्बर भी देना आवश्यक होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की जा सकेगी। पूर्व में विद्यमान व्यावसायिक किरायेदार को भी उक्तानुसार सूचना देना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें आगे किराए हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
4. नीलामी से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि को निर्धारित धरोहर राशि वसूल की जायेगी। नीलामी में एल–2 के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल बोलीदाता के द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि अथवा नीलामी तिथि, जो भी न्यूनतम हो, से एक माह तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी। तदुपरान्त उसे राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। नीलामी छूटने पर सफल बोलीदाता उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगो जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा।
5. (आवासीय एवं व्यवसायिकं) पर अधिकतम 10 वर्ष की लीज सम्पादित करने हेतु अनुमत किया जा सकेगा। नीलामी की अवधि पूर्व में ही प्रसारित की जाएगी। 5 वर्ष तक नीलामी अवधि का निर्णय सहायक आयुक्त के अधीन भाग 3 के बिन्दु संख्या 2 में गठित समिति द्वारा की जाएगी Location पर समान अवधि/समान बेस प्राईज यथासंभव निर्धारित रहे।
6. सफल बोलीदाता को सहायक आयुक्त द्वारा प्रदत्त मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी/पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में सूचना देकर निर्देशित करेंगे कि बोलीदाता पत्र की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर संपदा का कब्जा प्राप्त कर लें। इस अवधि में राशि जमा न कराने/कब्जा नहीं लेने की स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा राशि जब्त की जा सकेगी।
7. किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये रसीद/बैंक खाता/चैक/ड्राफ्ट व ऑनलाईन संबंधीत संभाग के सहायक आयुक्त के यहां जमा करा सकेगा।
8. प्रत्येक किरायेदार को अपनी सम्पत्ति पर सहजदृश्य रूप में विभागीय फोरमेट, कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग की सम्पदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा।

9. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्ध होगा तथा उनका नियमन नही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। आवंटित के सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एवं उपकिरायेदार/सहकिरायेदार/साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जप्त की जावेगी।
10. विभागीय किरायेदार मन्दिर मर्यादा के विरूद्ध कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नहीं करेगा यथा मांस–मदिरा विक्रय, जुआ, सट्टा व विधि के विरुद्व आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा न ही उसमें संमलिप्त नही होगा।
11. किरायेदार को किसी भी रूप में सम्पत्ति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।
12. प्रत्येक दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फोरमेट, कलर कोड एवं साईज के अनुसार देवस्थान विभाग की सम्पदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।
13. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबंधित अपने वैध लाईसेन्स या पंजीयन प्रमाण–पत्र को प्रदर्शित करना होगा।
14. यदि कोई सांझा अथवा फर्म के नाम से बोली लगाते हैं तो बोली के समय पंजीकृत सांझा पत्र व फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
15. सम्पदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व सम्पत्ति विशेष के लिए निर्धारित धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगा तथा बोली समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि नीलामी छूटने पर सफल बोलीदाता उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा तो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा होगा। अन्य बोलीदाताओं में से 2 निम्नतर बोलीदाताओं की धरोहर राशि रोकते हुए शेष असफल की धरोहर राशि उसी वक्त लौटा दी जावेगी।
16. अंतिम बोलीदाता द्वारा बोली समाप्ति पर उसी समय उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत किराया जमा कराना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई धरोहर राशि जब्त कर उससे निम्नतर बोलीदाता के नाम प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जावेगा अथवा बोली निरस्त करने की स्थिति में धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
17. सम्पदा जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में दी जावेगी। विभाग किसी प्रकार का मरम्मत/परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
18. अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार/मुख्यालय को प्रेषित किये जावेंगे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को सम्पदा का कब्जा प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा। इंतजार नहीं करने या सम्पदा की जरूरत नहीं होने के कारण बोलीदाता सम्पदा किराये पर नहीं लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराया गया 50 प्रतिशत किराया जब्त कर लिया जायेगा, जिसमें उच्चतम बोलीदाता किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं कर सकेगा।

19. सम्पदा किराये पर देने की राज्य सरकार की स्वीकृति की सूचना बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 15 दिन के अंदर उसे किरायानाम निष्पादित करना आवश्यक होगा तथा अधिकतम एक माह में किरायानामा निष्पादित नहीं करने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप में हक समाप्त हो जावेगा तथा विभाग उसकी नीलामी कर सकेगा अथवा सम्पदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। इसमें बोलीदाता कोई उज्र नहीं कर सकेगा। किरायानामा लिखने पर ही सम्पदा का कब्जा दिया जायेगा। किरायानामा स्वयं के खर्चे से ही पंजीयन कराना होगा तथा 11 माह पश्चात् पुनः नवीनीकरण एक माह में कराना होगा, अन्यथा किरायेदार के रूप में उसका अधिकार समाप्त हो जायेगा।
20. अधिकतम बोली की स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार एवं आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को होगा। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता का 50 प्रतिशत किराया सुरक्षित राशि के रूप में जमा है, लौटा दिया जावेगा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
21. किरायेदार सम्पदा में धार्मिक मर्यादाओं के विरूद्व किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे मांस, मंदिरा, अण्डा आदि का व्यवसाय नहीं कर सकेगा और न स्वयं सेवन कर सकेगा। कोई भी व्यवसाय चालू करने से पूर्व विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
22. सम्पदा का साधारण रंग–रोशन सफेदी एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर किरायेदार स्वयं के व्यय पर कर सकेगा।
23. सम्पदा में किरायेदार किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा।
24. सम्पदा में किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप किरायेदार नहीं रखेगा। यदि किरायेदार ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओस से कर दी जावेगी।
25. किरायेदार को प्रतिमाह अग्रिम किराया नियमित रूप से माह 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के यहा नकद अथवा चैक द्वारा जमा कराना होगा। किरायेदार को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
26. विभाग की उक्त वर्णित सम्पदा एवं आसपास स्थित विभाग की अन्य सम्पदा को किरायेदार किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगा तथा सम्पदा को सुरक्षित रखेगा एवं राज्य सरकार द्वारा अथवा देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नवीन किराया नीति 2020 से बोलीदाता बाध्य रहेगा।
27. राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में अन्य कोई शर्ते शामिल की जावेगी तो उनसे भी संबंधित किरायेदार अनुबंधित (बाध्य) रहेगा।
28. नीलामी के समय अन्य कोई शर्त जोड़ने एवं घटाने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
29. देवस्थान विभाग की नवीन किराया नीति 2020 के अनुसार किरायेदार को प्रति वर्ष बाद मूल किराये की राशि में 5 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी तथा नवीन किराये के अनुसार पुनः किरायानामा लिखना होगा।

30. किराये की सम्पदा पर प्रचलित एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा गृहकर, नगरपालिका, नगरविकास, न्यास या अन्य कोई कर लगाया जाता है तो किरायेदार को किराये के अतिरिक्त उसका भुगतान भी करना होगा।
31. अधिकतम बोलीदाता के नाम किराये पर आवंटन की स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त होने पर सूचना के बाद 15 दिवस के भीतर कब्जा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा जमा किया गया 50 प्रतिशत किराया जब्त कर लिया जावेगा इसके लिये बोलीदाता कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।
32. किरायेदार द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा।
33. अधिकतम बोलीदाता के नाम सम्पदा/दुकान किराये पर देने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जावेगा कि वह आकर दुकान का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जावेगा तो पत्र में वर्णित अवधि में दुकान/सम्पदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह दुकान/सम्पदा किराये पर नहीं लेना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई राशि का 50 प्रतिशत किराया अग्रिम राशि जब्त करके दुकान/सम्पदा पुनः नीलाम की जावेगी।
34. उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर अपनी स्थायी/अस्थायी सम्पतियों को हैसियत प्रमाण–पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
35. सम्पदा नोन कंसट्रक्शन एरिया में होने की स्थिति में सम्पदा परिवर्तन हेतु विभाग की अनुमति के पश्चात् ही अगर नगर परिषद/राज्य सरकार द्वारा एतराज किया गया तो उसके लिए बोलीदाता/किरायेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
36. पुरातत्व संरक्षित मंदिर/संस्था की सम्पदा होने की स्थिति में पुरातत्व संरक्षण नियमों की अनुपालना करनी होगी। ध्वनि, वायु, जलीय, रसायनिक प्रदुषण फैलाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकेगा।
37. किसी भी प्रकार की अनियमितता, विभागीय/मंदिर हितार्थ/जनहितार्थ/आवश्यकता होने पर एक माह की अग्रिम सूचना पर सम्पदा खाली करनी होगी अन्यथा राजस्थान सरकारी स्थान अप्रधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के प्रावधानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे के लिये किरायेदार/काबिजदार बाध्य होगा।
38. किरायेनामे की किसी भी शर्ते का उल्लंघन करने पर उसकी किरायेदारी स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
39. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किए जाने अथवा शर्तों के उल्लंघन किए जाने पर किराएदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।
40. उक्त के अभाव किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक/बेदखली की कार्यवाही का भागी होगा।
41. उपरोक्त अंकित शर्तों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/अस्पष्टता होने पर नवीन किराया नीति 2020 मान्य होगी।
42. विवाद होने पर सक्षम स्तर द्वारा जारी निर्देशों की पालना आवश्यक है।
43. नीलामी संबंधी समस्त सत्वाधिकार विभागीय अधिकारियों में निहित होंगें।

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, अजमेर